Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 210-2015/Ext] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015 (AGRAHAYANA 25, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 दिसम्बर, 2015

संख्या एमआईएससी0–1ए/जे0ई0 (वी0ए0)/2015/24934 .– पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा लिखित में नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) नियम, 2015, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में नियम 49 में,–

(क) ''उद्योग शीर्ष के नीचे, तालिका में, खाना 5 में, सामान्य के सामने, ''125'' अंकों के स्थान पर, ''150'' अंक प्रति स्थापित किये जाएंगें;

(ख) अंत में, क्रम संख्या (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या प्रतिथापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(iv) 125 के सामान्य स्तर से परे बढ़ाए गये अनुपात फर्श क्षेत्रफल के लिए सुविधा सरकार/ विकास अभिकरण द्वारा यथा विहित अनुपातिक प्रभारों/अवसंरचनात्मक मजबूती प्रभारों के भुगतान पर अनुज्ञात होगी ।''।

3 उक्त नियमों में, अनुसूची iv में, 'टिप्पणी' शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 6 के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या जोड़ी जाएंगी अर्थात् :–

"7. 50% संपरिवर्तन प्रभार इन्टरप्राइज्ज़ प्रमोशन पॉलिसी, 2015 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम इन्टरपराइज्ज़ के लिए सरकार द्वारा यथा अधिसूचित 'ख' 'ग' तथा 'घ' प्रवर्गों में उदग्रहीत किए जाएंगे।

8. धार्मिक/आध्यात्मिक प्रवचन/नैतिक शिक्षा देने वाली संस्थाओं/संगठनों की दशा में संपरिवर्तन प्रभार आच्छादित क्षेत्र/अनुमोदित फर्श क्षेत्र अनुपात के अनुसार उद्ग्रहीत होंगें।"।

पी० राघवेंद्र राव,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 16th December, 2015

No. MISC-1A/JE(VA)/2015/24934.— The following draft of the rules further to amend the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, in its application to the State of Haryana which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 25 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), is hereby published as required by Sub-section (1) of the said section for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette, together with the objections or suggestions, if any, which may be received in writing by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department, Chandigarh, from any person in respect of the draft rules before the expiry of the period so specified : —

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Rules, 2015.

2. In the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, (hereinafter called the said rules), in rule 49;-

(a) under the heading "Industrial" in Table, in coloum 5, against General, for figure; *"125" the figure "150" shall be substituted;*

(b) at the end for serial No. (iv), the following serial number shall be substituted, namely:-

"(iv) The facility of enhanced FAR beyond the General level of 125 shall be permissible on payment of proportionate charges/infrastructure strengthening charges as prescribed by the Government/ Development Agency."

3. In the said rules, in Schedule IV, under the heading 'Notes', after serial number 6, the following serial numbers shall be added, namely:-

"7. 50% conversion charges shall be levied in B, C &D category blocks as notified by the Government, for Micro, Small and Medium Enterprise as defined in the Enterprises Promotion Policy-2015.

8. In case of Institutions /Organisations imparting religious/spiritual preaching/moral education, the conversion charges be levied as per covered area/FAR approved.".

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department, Chandigarh.